प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 03 नवम्बर, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजीव पुत्र श्री ऋषिपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19924/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/आ०प्रस्त०/2023 दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजीव पुत्र श्री ऋषिपाल, जो ग्राम- भभीसा, थाना-कांधला, जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 02.07.2005 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घातक हथियारों बन्दूक व तमंचा से लैस होकर 04 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एस0टी0 नं0-270/06, भा0द0वि0 की धारा-147,148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं (2)-एस0टी0 नं0-273/2006, भा0द0वि0 की धारा-25 ए एक्ट में 01 वर्ष कारावास से मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-08, मुजफ्फरनगर द्वारा दण्डित किया गया, (3)-एस0टी0 नं0-23/07, भा0द0वि0 की धारा-3 (1) यू०पी०जी० एक्ट के अर्न्तगत विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-05 के आदेश दिनांक 27.06.15 द्वारा 10 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-21.12.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 06 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी भविष्य में अपराध कारित कर सकता है, जेल में रखना न्यायोचित होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 02.07.2005 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजीव पुत्र श्री ऋषिपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजीव (बन्दी संख्या-27494) पुत्र श्री ऋषिपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

संख्या-1281/2025/2647(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर/शामली।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-1281/2025/2647/22-2-2023-17(383)/2022

दिनांक: 03 नवम्बर, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी संजीव पुत्र श्री ऋषिपाल, जो ग्राम- भभीसा, थाना-कांधला, जनपद-मुजफ्फरनगर वर्तमान जनपद-शामली का निवासी है। बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 02.07.2005 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर घातक हथियारों बन्दूक व तमंचा से लैस होकर 04 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1)-एस0टी0 नं0-270/06, भा0द0वि0 की धारा-147,148, 307/149, 302/149 के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं (2)-एस0टी0 नं0-273/2006, भा0द0वि0 की धारा-25 ए एक्ट में 01 वर्ष कारावास से मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-08, मुजफ्फरनगर द्वारा दण्डित किया गया, (3)-एस0टी0 नं0-23/07, भा0द0वि0 की धारा-3 (1) यू०पी०जी० एक्ट के अर्न्तगत विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-05 के आदेश दिनांक 27.06.15 द्वारा 10 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक-21.12.2021 तक अपरिहार 16 वर्ष, 05 माह, 08 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 06 माह, 24 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी भविष्य में अपराध कारित कर सकता है, जेल में रखना न्यायोचित होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने पुरानी रंजिश में दिनांक 02.07.2005 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक व तमंचा से गोली मारकर 04 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी संजीव पुत्र श्री ऋषिपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।